ग्राम पंचायत गोधंला, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016

भाग–एक

1 **प्रस्तावना (क):–** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा दायित्व पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत गोधंला, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः–

(i) प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री रमेश कुमार	1.4.13 से 31.3.16

(ii) सचिवः–

1	श्री अशोक कुमार	1.4.13 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत गोधंला के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	गम्भीर अनियमितता का सार	₹ (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का रख रखाव नियमानुसार न करना	
2	5	बजट प्राकलन तैयार न करना	
3	6	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष राशि	0.24
4	7	अनुदानों का अवरोधन	16.54
5	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक स्टोर का क्रय	19.96

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत गोंधला, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विकास धवन अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 22.9.16 से 26.9.16 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय व व्यय के लिए क्रमशः 11/13, 3/15 व 3/16 तथा 9/13, 9/14 व 11/15 मासों का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत गोंधला, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹4000/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 169 दिनांक 26.9.16 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत गोंधला से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत गोंधला के अवधि 4/13 से 3/16 के स्वस्त्रोतों व अनुदानों की वित्तीय स्थिति (बैंक पास बुक के आधार पर) का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 1** में दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष ₹	प्राप्ति ₹	ब्याज ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2013–14	979465	2610474	38791	3628730	2885804.70	742925.30
2014–15	742925.30	4026279	39238	4808442.30	3685872.74	1122569.56
2015–16	1122569.56	4222531	54424	5399524.56	2793482.08	2606042.48

ग्राम पंचायत गोंधला के दिनांक 31.3.16 को विभिन्न बैंक खातों में जमा शेष राशियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(i)

Sr.No.	Name of Bank	Account No.	Amt.
1	K.C.C.	20007336853	2131982
2	C.B.I	3292338341	1182
3	C.B.I	3292100929	764
4	K.C.C	50062176447	380959
5	S.B.I	30627499651	14779-66
6	P.N.B.	4519000100016968	75588-92
7	C.B.I.	3297558497	786
8	S.B.I	30394281396	Nil
		Total	**₹2606042.48**

(ii) हस्तगत राशि=₹815.00

4.1 रोकड़ बही का रख–रखाव नियम–7 के अनुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत गोंधला की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बही का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार नहीं किया गया था। नियम 7 (3) के अनुसार रोकड़ बही में अन्तिम शेष की गणना तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में बैंक खातों में शेष जमा राशियों का विवरण, रोकड़ बही में दिया जाना अपेक्षित है। रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही में अंकेक्षण अवधि में अथशेष/अन्तिम शेष राशियों की गणना नहीं की गई थी जोकि उक्त नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 बजट प्राकलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखों संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राकलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राकलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राकलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट

प्राकलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

6 पंचायत राजस्व ₹0.24 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः—

पंचायत की स्व स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व की ₹24030/— वसूली हेतु शेष थी।

गृहकर (परिशिष्ट—2)

वर्ष	अथशेष ₹	मांग ₹	योग ₹	प्राप्ति ₹	वसूली हेतु शेष ₹
2013—14	24330	6150	30480	18750	11730
2014—15	11730	6150	17880	—	117880
2015—16	17880	6150	24030	—	24030

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

6.1 गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर को पूर्ण न करनाः—

ग्राम पंचायत गोंधला के गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा मांग व वसूली रजिस्टर को 31.3.16 तक पूर्ण नहीं किया गया था। अतः मांग व वसूली रजिस्टर को पूर्ण न करने के कारण स्पष्ट करते हुए रजिस्टर को प्रति परिवार की बकाया राशि को दर्ज करके 31.3.16 तक पूर्ण किया जाए तथा भविष्य में उक्त रजिस्टर को प्रति वर्ष पूर्ण करके बकाया वसूली हेतु शेष राशि की गणना की जानी सुनिश्चित की जाए।

7 अनुदान ₹16.54 लाख का उपयोग न करनाः—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.16 तक अनुदान ₹1654369/—**(परिशिष्ट—3)** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृत पत्र के अनुसार राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ—2 सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए।

7.1 31.3.16 को बैंक खातों में जमा राशियों व अनुदानों की शेष राशियों में ₹951673.48 के अन्तर बारेः–

पंचायत के विभिन्न बैंक खातों में दिनांक 31.3.16 को जमा शेष राशियों व अनुदानों की शेष राशियों **(परिशिष्ट–3)** का मिलान करने पर ₹951673.48 का अन्तर पाया गया। अतः उक्त अन्तर की राशि किस–किस मद/स्त्रोत की है, का पूर्ण ब्यौरा तैयार करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

31.3.16 को बैंकों में जमा राशि		₹2606042.48
31.3.16 को अनुदानों की उपयोग हेतु शेष राशि		₹1654369.00
	अन्तर	**₹951673.48**

8 अस्थाई अग्रिम ₹3.00 लाख का समायोजन न करनाः–

पंचायत की IWMP की रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 10, माह 10/2014 की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा थरोग (Throrang) नाले पर पोली टैंक के निर्माण हेतु श्री राकेश कुमार, ठेकेदार को अस्थाई अग्रिम ₹300000/– का भुगतान किया गया, जिसका समायोजन दिनांक 31.3.16 तक नहीं किया गया था। अतः निर्माण कार्य हेतु पंचायत पदाधिकारियों के स्थान पर ठेकेदार को अग्रिम राशि के भुगतान का औचित्य व राशि का समायोजन न होने के कारण स्पष्ट करते हुए उक्त राशि का समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा अग्रिम राशि ब्याज सहित वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 निर्माण कार्यों के प्राकलन जाँच हेतु उपलब्ध न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/–व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। अंकेक्षण अवधि के व्यय वाउचरों की जांच करते समय निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्यों के प्राकलन अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे। अतः निर्माण कार्यों के प्राकलन आगामी अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत किए जाए अन्यथा निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Sr.No.	Grant	Cash book Page/Month	Name of work	Expenditure	Sanctioned amount
1	2515	61 9/2014	C/o 2nd story Mahila Mandal Bhawan, Dalang	72000	24000
2	VKVNY	9/2014	C/o Community hall at vill.Gondhala	14230	200000
3	CRF	9/2014	R/O Community Hall at Gondhla	30000	100000
4	D.I.F.	9/2014	Irrigation Scheme Teeling & Fuktel	111520	250000
5	IWMP	7 & 8 9/2014	C/o R.C.C. Tank I & II, Vill.Yangla	397800	397800
6	D.IF.	3 11/2015	Completion of Silla Gompa	400000	526451

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹19.96 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट "4"** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹1996290/— के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No.	Name of Register
1	T.A. Check Register Form 20
2	Bill Register Form 13
3	Cheque issue/Receipt Register

4 Work Register
5 Temporary Advance Register
6 Stationery Register-Form 28
7 Stock Register of consumable Articles –Form-26

12 ₹19.96 लाख की क्रय मदों की प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय प्रत्येक स्टॉक/स्टोर की प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। पंचायत के व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "4"** में दिए गए विवरणानुसार ₹1996290 की मदों की प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं की है जोकि उक्त नियम के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः **परिशिष्ट "4"** में दिए गए विवरणानुसार प्रत्येक मद की प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 ₹0.50 लाख की पॉली शीट (Poly Sheet) की खरीद बारेः–

पंचायत की रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 1 माह 11/2015 की जाँच पर पाया गया कि पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान से बिल संख्या 0299, दिनांक 5.5.15 द्वारा मै0 शिवालिक एग्रो, सोलन से 378 पॉलिशीट की खरीद ₹49613/– में करके गांव थरोंग में ग्रामीणों को पॉलि शीटें वितरित की गई उनका विवरण/वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें जाँच हेतु उपलब्ध नहीं थी। अतः ग्रामीणों का विवरण व वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

14 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया था जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

16 **निष्कर्षः–** ग्राम पंचायत गोंधला की रोकड़ बहियों व स्टॉक रजिस्टरों में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(viii) 4/2016–खण्ड–1– 749–752 दिनाँकः07.02.2017
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत गोंधला, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, लाहौल, जिला लाहौल–स्पिति, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति, हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट–4

पैरा संख्या 10:–औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना क्रयः–

Sr.No.	Grant	Cash book page/Month	Bill No.	Firm	Item	Amt.
1	VMJS	36 9/13	004 30.8.13	M/s Shashni enterprises Keylong	Material for irrigation scheme vill. Dalang	882154
2	VMJS	36 9/13	220 14.5.13	M/s Shiv Shakti Traders Palampur	Power Tilleris	317600
3	2515	61 91/14	180 28.8.14	M/s Vinod cement store Gondhla	Cement	27650
4	do	62 9/14	Nil	M/s Rajesh, Vill Dalang	Breaks	44350
5	IWMP	7 9/14	250 5.7.14	M/s Prem Singh & Bro. Keylong	Cement & Steel	65369
6	do	do	246 8.6.14	-do-	Cement & Steel	71959
7	13th F.C.	92 11/15	0135 9.10.15	M/s S.R. Enterprises Keylong	Furniture	50000
8	VKVNY	1 11/15	0299 5.5.15	M/s Shivalik Agro Solan	Woven Geomembrace 45 of (Poly Sheets)	49613
9	Panchayat Fund	2 11/15	96 10.10.15	M/s Charchipa shop & Xerox service, Keylong	Stationery	1042
10	VKVNY	3 11/15	002 22.7.15	M/s Bilal Rope hardware store, Nagwain	Cont.Material for span	165060
11	D.I.F.	3 11/15	565 20.11.15	M/s Jagtamba Traders Keylong		20030
12	do	do	567 20.11.15	-do-	Ply.	28240
13	do	do	566 20.11.15	-do-	Ply.Corner etc.	28890
14	do	do	570 20.11.15	M/s Jagtamba Traders Keylong	Ply.Corner etc.	18248
15	do	do	0066 2.915	M/s Komal Enterprises Keylong	Wood sleepers	168100
16	do	do	629 11.10.15	M/s Karpa Hardware store, Keylong	Paint	57985
					Total	**₹1996290**

G.P. Gondhla